

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक : एफ1(8)लो.सूअ./सान्याअवि/12 2135

जयपुर, दिनांक 10/04/12

संशोधन आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ1(8)सामा/सान्याअवि/05/39792 दिनांक 21.08.06,
20244 दिनांक 23.08.2006 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत जिलों में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारियों को तथा अन्य कार्यालयों में पदस्थापित समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों (यथा जिला पुनर्वास अधिकारी/प्राचार्य मानसिक विमंदित शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर/जिला बालक अधिकारी/अधीक्षक/अधीक्षिका) को अपनी—अपनी संस्थाओं/कार्यालयों के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया था।

उक्त आदेश में संशोधन किया जाकर उपरोक्तानुसार उल्लेखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

 निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ1(8)लो.सूअ./सान्याअवि/12 2136-2286

जयपुर, दिनांक 10/4/12

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
7. उप निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. निदेशालय के समस्त लोक सूचना अधिकारी
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
10. प्राचार्य मानसिक विमंदित शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सेठी कालानी जयपुर।
11. जिला पुनर्वास अधिकारी, जिला पुनर्वास केन्द्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा।
12. जिला बालक अधिकारी
13. अधीक्षक/अधीक्षिका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
14. नोटिस बोर्ड।
15. कार्यालय आदेश पत्रावली।

 निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव